खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0070 / 2017

1. पृथ्वीराज राजपुरोहित पुत्रश्री नाथूसिंह राजपुरोहित उम्र 45 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी प्रताप चौक, बांरा (राज.)
2. मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, प्रताप चौक बांरा जरिए प्रोपराइटर पृथ्वीराज राजपुरोहित पुत्रश्री नाथूसिंह राजपुरोहित उम्र 45 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी प्रताप चौक, बांरा (राज.)

——अपीलार्थीगण

विरूद्व

1. राजस्थान राज्य जरिए आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान, जयपुर
2. श्री वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाईमाधोपुर, राज.

——प्रत्यर्थीगण

उपस्थितः—

1. श्री जितेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री अभिजीत पंचारिया, अधिवक्ता वास्ते श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं.01 राज्य

:: निर्णय :: **दिनांक : 09.04.2018**

1. यह अपील विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी, बांरा के आदेश दिनांक 28.06.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 01 / 2015 वेदप्रकाश बनाम पृथ्वीराज वगैरा में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट पर 1,50,000 रूपये (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार यह बताया गया है कि श्री वेद प्रकाश पूर्विया, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बांरा ने अपीलार्थी की दुकान से गुलाब जामुन वास्ते जांच खरीद किया जो बाद जांच सब स्टेण्डर्ड पाया गया। जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ खाने के लिए असुरक्षित पाया गया जिसपर अपीलार्थी द्वारा रैफरल प्रयोगशाला से जांच कराने का निवेदन किया। रैफरल प्रयोगशाला, गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट में सैम्पल में B.R. Reading st 40°C (of extracted fat) 39.4°C होना पाया गया जो न्यूनतम 40 होना चाहिए, इस कारण खाद्य पदार्थ को सब स्टेण्डर्ड माना जिसपर आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर परिवाद न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया और बाद सुनवाई

न्याय निर्णायक अधिकारी ने अपीलार्थी पर 1,50,000/–रूपये (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की गई।

3. अपील का मुख्य आधार यह लिया गया है कि गाजियाबाद प्रयोगशाला की रिपोर्ट में जो कमी होना बताया गया है वह सैम्पल भरते समय दोषपूर्ण परिस्थितियों के कारण या फोरमलीन की मात्रा कम ज्यादा डालने से हो सकती है। अपीलार्थी ने घी गुलशन लाल राधेश्याम हॉस्पीटल रोड़ बांरा के यहां से खरीदा है, घी का वह स्वयं निर्माता नहीं है। अतः यदि घी मानक नहीं पाया गया है तो अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है।

4. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

5. योग्य अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तर्को की पुनरावृति की। प्रत्यर्थी की ओर से आलौच्य आदेश की संपुष्टि किए जाने का निवेदन किया।

6. अवधार्य बिन्दु :––

''आया योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, बांरा ने आलौच्य आदेश दिनांक 28.06.2017 को पारित करने में तथ्य एवं विधि की भूल की है?''

7. विनिश्चयः–– अपीलार्थीगण के विरूद्व तय किया जाता है।

8. विनिश्चय के कारणः––

9. अपीलार्थी का यह तर्क कि सैम्पल लेने में त्रुटि रही है अथवा फोरमलीन की मात्रा कम ज्यादा डाली जा सकती है, इस तर्क की संपुष्टि में कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। रेफरल लेबोरेटरी, गाजियाबाद में सैम्पल जांच के लिए उपयुक्त पाया गया है। ऐसी स्थिति में जांच रिपोर्ट पर संदेह करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। परन्तु जांच रिपोर्ट के अनुसार B.R. Reading st 40°C (of extracted fat) 39.4°C पाया गया जबकि लिए गए सैम्पल के मानक 40.0–43.0 होना चाहिए जबकि हस्तगत प्रकरण के नमूने में 39.4°C

पाया गया अर्थात 0.60°C कमी पाई गई जो घी की गुणवत्ता के कारण भी हो सकता है। यदि अपीलार्थी गुलाब जामुन बनाने में घी का उपयोग करता है तो उसका यह दायित्व बनता है कि घी भी निर्धारित मानक का ही हो, उसे ही काम में ले। यह नहीं कहा जा सकता कि उसने घी किसी अन्य से खरीद किया था फिर भी इन परिस्थितियों में अधिरोपित की गई शास्ति न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में शास्ति के बिन्दु पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

:: आदेश ::

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 01/2015 वेदप्रकाश बनाम पृथ्वीराज वगैरा में पारित किया गया कि अपीलार्थी पर 1,50,000रूपये (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) की शास्ति आरोपित की गई, उसे अपास्त करते हुए अपीलार्थी पर 50,000रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है, शेष आदेश यथावत रहेगा। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थीगण को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.04.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर